HAMIRPUR POLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 07 माह के कठोर कारावास व 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **मुस्करा** में पंजीकृत **मु0अ0सं0-84/2019 धारा-20/22 एनडीपीएस एक्ट** में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय **एनडीपीएस एक्ट कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **मो0 तालिब पुत्र फैज मुहम्मद** निवासी मु0 छःथोक थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए **07 माह के कठोर कारावास व 2,500/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।**

	एडीजीसी प्रवीण कुमार भदौरिया		विवेचक- उ0नि0 कम्बोद सिंह		पैरोकार थाना- मुस्करा का0 श्यामनारायण